आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना।

Email md@idabihar.com Website-www.idabihar.com, Phone: 0612- 2302935, 2675933 Fax: 0612-2675934

कार्यालय आदेश सं0 IDA/OO/166/17

कार्यालय आदेश

दिनांक–30.11.2017 को संपन्न प्राधिकार के निदेशक पर्षद की 35वीं बैठक में संलेख सं0–12 के अंतर्गत आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में अनुबन्ध एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया था। निदेशक पर्षद द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन के आलोक में प्राधिकार में अनुबन्ध एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रेणीवार वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित रुप से अनुमान्य होगाः–

यात्रा हेतु श्रेणी की अनुमान्यता :–

1. रेल द्वारा यात्राः–

क्र0 सं0	कर्मियों का वर्गीकरण	अनुमान्यता
1	पदाधिकारी (कोटि–ए)	ए0सी0–2 टियर शयनयान
2	पदाधिकारी (कोटि–बी)	ए0सी0–3 टियर शयनयान / कुर्सीयान
3	कर्मचारी (कोटि–सी)	सामान्य स्लीपर क्लास

विशेष परिस्थिति में वायुयान (Economy Class) से यात्रा सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है।

2. सड़क द्वारा यात्राः–

क्र0 सं0	कर्मियों का वर्गीकरण	अनुमान्यता
1	पदाधिकारी (कोटि–ए)	वातानुकूलित बस / टैक्सी / कार
2	पदाधिकारी (कोटि–बी)	बस / औटो
3	कर्मचारी (कोटि–सी)	बस / औटो

hsverma:\D:\office order –Agenda-TA & DA allowance-2017.docs

24/12

राज्य के अन्दर या बाहर स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी स्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगाः—

3. वाहन का प्रकारः—

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	किराया
1	टैक्सी	₹20/- प्रति किलोमीटर
2	ऑटो रिक्शा	₹10/- प्रति किलोमीटर
3	प्री—पेड टैक्सी/ऑटो	वास्तविक किराया, प्राप्ति रसीद के आधार पर

नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति से निजी वाहन से यात्रा सरकारी कार्य हेतु विशेष परिस्थिति में की जा सकती है। निजी वाहन से सरकारी कार्य हेतु यात्रा की अनुमति मात्र उन पदाधिकारियों को दी जायेगी जो टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता रखते हैं तथा जिनके पास कोई सरकारी वाहन सम्बद्ध नहीं है।

4. दैनिक भत्ता (Daily Allowance)

शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रुपये में।

कर्मियों का वर्गीकरण	श्रेणी 'X' (मेट्रो)	श्रेणी 'Y' (पटना)	श्रेणी 'Z' (अन्य)
पदाधिकारी (कोटि—ए)	₹4500/- होटल	₹3500/- होटल	₹2500/- होटल
	₹1000/- सामान्य	₹750/- सामान्य	₹500/- सामान्य
पदाधिकारी (कोटि—बी)	₹2800/- होटल	₹1500/- होटल	₹1000/- होटल
	₹800/- सामान्य	₹600/- सामान्य	₹400/- सामान्य
कर्मचारी (कोटि—सी)	₹1000/- होटल	₹500/- होटल	₹300/- होटल
	₹500/- सामान्य	₹375/- सामान्य	₹275/- सामान्य

नोटः— होटल दर आवासन एवं भोजन (Boarding and Lodging) पर व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा है, बशर्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए।

यदि सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाऊस में रहने का व्यय 'सामान्य दर' से ज्यादा हो, तो वास्तविक अभिश्रव समर्पित करने पर उस राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में 'होटल दर' से अधिक नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह0/—

निदेशक (प्रशासन)

office order –2/3

hsverma:\D:\office order –Agenda-TA & DA allowance-2017.docs

ज्ञापांक 2251/Estt 02/11/Estt./IDA/13 दिनांक 22-12-17

प्रतिलिपिः– 1. निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) आई0डी0ए0 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. स्थापना शाखा/लेखा शाखा/विधि शाखा, आई0डी0ए0 को सूचनार्थ प्रेषित।

3. आई0डी0ए0 में संविदा पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/12/17
निदेशक (प्रशासन)